



राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक एफ89/संस्था/LM-01 (5) 2017 loose

दिनांक 30/06/2021

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 427/2020 पर दिनांक 26.05.2021 को दिये गये निर्णय के अनुसरण में प्रशासनिक विभाग के ग्रेडिंग प्राप्त कार्मिकों का माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर के एस.बी.सिविल रिट पीटिशन संख्या 4605/2020 रामचन्द्र त्रिपाठी व अन्य संयोजित याचिकाएँ बनाम राज्य सरकार व अन्य के निर्णय के अधीन निम्नानुसार पदस्थापन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम	पदस्थापन जिला/कार्यकारी मानक प्रयोगशाला जिला क्षेत्र	अतिरिक्त कार्यभार (कार्यकारी मानक प्रयोगशाला जिला क्षेत्र)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री रोहित शर्मा	जयपुर	-	प्रवर्तन कार्य हेतु अधिकृत
2	श्री महिपाल सिंह राठीड	चुरु	-	-
3	सुश्री शिवानी	बुंदी	-	-
4	श्रीमति निशा मीणा	प्रतापगढ़	-	TSP क्षेत्र से जुड़े कार्मिक
5	श्री अमित चौधरी	जयपुर	-	-
6	श्री रमन यादव	भिवाडी	-	-
7	श्री पुखराज खासोटिया	जालौर	-	-
8	श्री निहाल वशिष्ठ	करौली	धौलपुर	-
9	सुश्री मनाली भट्ट	बासवाडा	-	प्रवर्तन कार्य हेतु अधिकृत TSP क्षेत्र से जुड़े कार्मिक
10	सुश्री रिंकी आर्या	जयपुर	-	-
11	सुश्री प्रेरणा शर्मा	जयपुर	-	-
12	श्री सत्येन्द्र सिंह कर्दम	बारां	-	-
13	श्री निलेश कुमार खांट	डुंगरपुर	-	TSP क्षेत्र से जुड़े कार्मिक

उपरोक्त कार्मिकों में से क्रम संख्या 1,9,12 व 13 के अतिरिक्त समस्त कार्मिक मुख्यालय से वार्षिक सत्यापन सीलें व अन्य आवश्यक सीलें इत्यादि प्राप्त कर तत्काल कार्य प्रारम्भ करेंगे

(अनिल कुमार अग्रवाल)
नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक/नियंत्रक (वि0मा0) उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, जिला कलक्टर समस्त।
6. उप निदेशक/उपनियंत्रक उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. जिला रसद अधिकारी समस्त।
8. सम्बन्धित कार्मिक श्री
9. स्टोर शाखा प्रभारी को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्मिको को वार्षिक सत्यापन इत्यादि सीले उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित कार्यरत विधिक मापविज्ञान अधिकारी/अभिरक्षक कार्यकारी मानक प्रयोगशाला को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार जयपुर के अलावा अन्य समस्त कार्यकारी मानक प्रयोगशालाओं का कार्यभार संभलाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
11. रक्षित पत्रावली।

उप नियंत्रक